

न्यायालय अपर समाहर्ता, पटना

दाखिल खारिज पुनरीक्षण वाद संख्या-19/2013-14

पिन्दु कुमार सिंह बनाम सच्चिदानन्द सिंह वगैरह

Under Section 8 of the Bihar Land Mutation Act, 2011

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
09/06/18	<p style="text-align: center;">आदेश</p> <p>यह पुनरीक्षण वाद, दाखिल खारिज अपील वाद सं० 17/2012-13 में भूमि सुधार उप, समाहर्ता, दानापुर के द्वारा दिनांक 21.01.2013/04.02.2013 को पारित आदेश के विरुद्ध दायर किया गया है।</p> <p>विपक्षीगण के द्वारा दिनांक 16.03.2016 को प्रतिउत्तर दायर किया गया। तत्पश्चात् दिनांक 28.03.2017 के बाद से विपक्षीगण की तरफ से पैरवी करना बंद कर दिया गया। आवेदक भी दिनांक 06.01.2018 के बाद से लगातार अनुपस्थित हैं। दिनांक 11.04.2018 को उभय पक्ष को अंतिम मौका दिया गया। आज दिनांक 09.06.2018 को भी उभय पक्ष अनुपस्थित हैं। स्पष्ट है कि उभय पक्ष को इस वाद के संचालन में कोई दिलचस्पी नहीं है।</p> <p>पुनरीक्षण आवेदन, दाखिल खारिज अपील वाद में पारित आदेश एवं विपक्षीगण के प्रतिउत्तर का प्ररिशीलन किया। प्रश्नगत वाद में स्वत्व का जटिल मामला सन्निहित है। प्रश्नगत भूखण्ड को लेकर व्यवहार न्यायालय, दानापुर में स्वत्व वाद सं० 317/12 विचाराधीन है। जिसमें इस वाद के उभय पक्ष पक्षकार हैं।</p> <p>सम्यक विचारोपरान्त मेरा यह मानना है कि दाखिल खारिज अपील वाद सं० 17/2012-13 में दिनांक 21.01.2013/04.02.2013 को पारित आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। उभय पक्ष व्यवहार न्यायालय में न्याय निर्णय प्राप्त करें।</p> <p>पुनरीक्षण-आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित।</p> <p style="text-align: center;">(वज्रें उद्दीन अंसारी) अपर समाहर्ता, पटना</p> <p style="text-align: center;">(वज्रें उद्दीन अंसारी) अपर समाहर्ता, पटना</p>	